

<><><><><><>

- बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक में दिल्ली घोषणा पर सहमति बनी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी पर मिलकर कार्रवाई का संकल्प।
- भारत में टीबी के नए मामलों में 21 प्रतिशत की गिरावट, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अठाईस करोड़ से अधिक लोगों की हुई जांच।
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत अंडमान—निकोबार में खुलेंगे नए जन औषधि केंद्र।
- निकोबार जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ए पी डब्ल्यू डी कार्यालय के पास से मादक पदार्थ जब्त।

<><><><><><>

बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। घोषणा में सदस्य देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए इसके उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने का संकल्प दोहराया। घोषणा में आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई तथा दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाने का आह्वान किया गया। सदस्य देशों ने मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और धन शोधन की रोकथाम के लिए निर्धारित कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया।

<><><><><><>

भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच तपेदिक के नए मामलों में 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 12 प्रतिशत रही। देश में टीबी उपचार का दायरा बढ़कर बानबे प्रतिशत हो गया है, जो वैश्विक औसत अठहत्तर प्रतिशत से अधिक है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है और 20 लाख से अधिक लोगों को टीबी से बचाव का उपचार दिया गया है। अभियान से पांच लाख 70 हजार से अधिक नि-क्षय मित्र भी जुड़ चुके हैं। टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बीमारी की जल्द पहचान के उद्देश्य से कल 11 राज्यों के पचपन जिलों में 'जॉश' (ज्वाइंट स्कवॉड फॉर हेल्थ) अभियान चलाया गया। इसमें माय भारत के स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार ने दवा प्रतिरोधी टीबी के मरीजों के लिए छह महीने का कम अवधि वाला बी पी ए एल एम उपचार भी शुरू किया है।

<><><><><><>

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो विशेष ऋण जोखिम बीमा योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में उन्होंने बताया कि जहाज निर्माण परियोजना ऋण जोखिम बीमा पॉलिसी निर्यात परियोजनाओं और बिजनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी घरेलू परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देने के साथ बीमा दावों की स्थिति में कंपनियों को सहायता भी देगी। बैठक में व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मार्च 2027 तक सभी बंदरगाहों को समुद्री एकल खिड़की प्रणाली 'एम एस डब्ल्यू सागर सेतु' से जोड़ने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, मंत्री ने 'एक राष्ट्र, एक बंदरगाह प्रक्रिया' पहल की मार्गदर्शिका जारी की। परिषद ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बंदरगाह शुल्कों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित करना भी अनिवार्य किया है।

<><><><><><>

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति, उद्यमी, दुकानदार, गैर-सरकारी संगठन, धर्मार्थ संस्थाएं, ट्रस्ट, सोसायटी, फर्म और निजी कंपनियां जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक आवेदक आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in पर जा सकते हैं।

<><><><><><>

ननकौड़ी पुलिस स्टेशन की टीम ने थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर बनेडिक्ट के नेतृत्व में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 209 ग्राम मेथाक्वालोन बरामद किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, ए पी डब्ल्यू डी के कार्यकारी अभियंता (ईई) कार्यालय, कमोर्टा के पास तलाशी के दौरान आरोपी शिव सुब्रमण्यम के पास से मादक पदार्थ बरामद किया गया। मामले में दो अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह अभियान कार निकोबार के एस डी पी ओ सोलोमन सैमुअल के निर्देशन और निकोबार जिला पुलिस अधीक्षक राहुल एल. नायर की देखरेख में चलाया गया। पुलिस ने आम जनता से अपराध या अवैध गतिविधियों की सूचना हेल्पलाइन नंबर 112 या 03192-265-242 पर देने की अपील की है।

<><><><><><>

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विनियमन, 2026 के तहत तैयार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2026 का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया है। अंतिम रूप देने से पहले इस पर संबंधित

पक्षों और आम जनता से सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। प्रारूप अंडमान-निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट और अंडमान-निकोबार पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति और संबंधित पक्ष अपनी टिप्पणियां एवं सुझाव प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुलिस अधीक्षक (अग्निशमन), अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह को spfire.and@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

<><><><><><><>

अंडमान लॉ कॉलेज में आज विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 'नशा मुक्त युवा' विषय पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय की सब-इंस्पेक्टर मसूमा बेगम ने विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, बचाव के उपाय और नशामुक्त जीवनशैली के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने एन डी पी एस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया तथा विद्यार्थियों से अस्वस्थ जीवनशैली से दूर रहने की अपील की। युवाओं में जागरूकता बढ़ाने और नशे के खिलाफ सतर्कता को प्रोत्साहित करने के लिए 11 सदस्यीय नशा विरोधी समिति का भी गठन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पी.वी.एन. शर्मा ने आयोजन के लिए पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। सत्र में करीब 120 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

<><><><><><><>

आपदा प्रबंधन निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आपदा प्रबंधन भवन के प्रशिक्षण हॉल में स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर शिक्षकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कल उद्घाटन सत्र के दौरान, आपदा प्रबंधन निदेशालय के सहायक निदेशक जनिक राम ने शैक्षणिक संस्थानों में आपदा तैयारियों को मजबूत करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने आपातकालीन एवं आपदा स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए छात्रों और स्कूल कर्मचारियों, दोनों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और स्कूल सुरक्षा पर व्यापक सत्र शामिल किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले तैंतीस शिक्षकों ने भाग लिया।

<><><><><><><>